

राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर — 302004 वूरभाष :— 0141—2711070, संस्थापन—द्वितीय :— 2256702 E-mail : asttregistrarestt2@gmail.com

क्रमांकः संस्था-2/2025/3915 -16

दिनांक: 28/8/2025

process of the same

Kiran Enterprises,
67—ए, टोंक रोड, सांगानेर,
जयपुर, 302029 ।

2. A1 Services, डी—9 / 39, चित्रकूट योजना, सेक्टर—9, वैशाली नगर, जयपुर, 302021।

विषय:- आपके माध्यम से उपलब्ध श्रमिकों के द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक संस्था—2/2025/2032 दिनांक 23.06.2025 एवं आदेश क्रमांक संस्था—2/2025/2164 दिनांक 23.06.2025 के क्रम में आपके माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये मानव श्रम द्वारा दिनांक 20.08.2025 से आज दिनांक 28.08.2025 तक लगातार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जिससे विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हो एहा है।

आपके एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए अनुबंध की शर्त संख्या 30 एवं 35 पर निम्न शर्ते अंकित है:-

- 30. संवेदक के द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी मानव संसाधन की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने या गैर कानूनी कृत्य करने आदि के लिए सम्बन्धित इकाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर श्रमिक को संवेदक द्वारा हटा दिया जायेगा एवं उसके स्थान पर अन्य श्रामिक की सेवायें संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई जाऐगी।
- 35. अनुबंध की अविध के दौरान संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी श्रमिक द्वारा किसी कारण से कार्य का बिहिष्कार किया जाता है या इड़ताल की जाती है या घरना प्रर्दशन किया जाता है तो यह अनुबंधित फर्म/संवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में किसी मानी जायेगी एवं शतों का उल्लघंन माना जा कर ऐसे प्रत्येक अवसर/घटना के लिए शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा। ऐसे कृत्य के लिए श्रमिक/श्रमिकों पर काम नहीं तो मजदूरी नहीं" का सिद्धान्त लागू होगा। श्रमिक/श्रमिकों के स्वेच्छा से कार्यालय में अनुपस्थिति दिवस का किसी भी प्रकार की मजदूरी देय नहीं होगा। संवेदक से उपर्युक्तानुसार मानव संसाधन के बहिष्कार/हड़ताल/धरना प्रदर्शन करने से कार्य बाधित होने पर या अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर ऐसी कुल कार्यावधि में प्रत्येक कार्यदिवस को देय मजदूरी का एक तिहाई राशि के बराबर शास्ति के रूप में वसूली चालू माह/आगामी माह के भुगतान बिल या कार्य सम्पादन प्रतिभूति में से की जा सकेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रामकों को तुरन्त कार्य पर लौटने हेतु सूचित करें अथवा दिनांक 23.06.2025 एवं उसके पश्चात जारी आदेशों के अनुसार दूसरे श्रीमक विश्वविद्यालय में उपलब्ध करावें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपके द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राजकुमार् कस्वा) कुलसचिव

दिनांक: 28 8 12 6 2 9

क्रमांकः संस्था-2/2025/3917-4000

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक / अशैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।

2 समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर ।

3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि.,जयपुर। मुख्य कुलानुशासक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।

वित्तं नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।

7. विश्वविद्यालय अभियन्ता, अभियंता कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।

प्रभारी अधिकारी, अतिथि गृह / उद्यान विभाग / स्वास्थ्य केन्द्र (तीनों इकाई), रा.वि.वि., जयपुर ।

9. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

10. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

ा. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

12. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

13. A1 Services, डी-9/39, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।

4. Kiran Enterprises, 67—ए, शिव कॉलोनी—बी, टोंक रोड़, सांगार्नेर, जयपुर, राजस्थान, 302029।

नि पिट्या के DP/श्र (डॉ. राज कुमार जैन) अतिरिक्त कुलसचिव

